अनुदान संख्या 25 - स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 25 - DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	104804,30,00	108473,22,00	103325,01,67	-5148,20,33
पूरक	Supplementary	3668,92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4995,61,47
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	55,00	65,00	44,55	-20,45
iwjd	Supplementary	10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,44

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (₹514820.33 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त की गई ₹366892.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक थी जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 05 प्रतिशत है।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹514820.33 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹366892.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	1801258.00			
पू.	S.	366886.00	2991873.02	2988413.65	-3459.37
पु.	R.	823729.02			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	651088.00			
पू.	S.	2.00	..	..	..
पु.	R.	-651090.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7823407.00			
पू.	S.	2.00	7221351.65	7209826.55	-11525.10
पु.	R.	-602057.35			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	201131.00			
पू.	S.	1.00	130810.12	130536.10	-274.02
पु.	R.	-70321.88			

(I) तेईस शीर्षों के अंतर्गत ₹651159.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा। इनमें से ₹649893.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थे।

(का) "माध्यमिक शिक्षा – गैर – सरकारी माध्यमिक स्कूलों की सहायता – स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹67050.50 लाख (₹0.50 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(खा) "प्रारंभिक शिक्षा– अन्य व्यय" –

(क) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी. एम. – पोषण)" – ₹67000.00 लाख;

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹230740.05 लाख (₹0.05 लाख के सांकेतिक अनुदान सहित);

(ग) "पी. एम. स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹27600.00 लाख।

(गा) "व्यस्क शिक्षा – अन्य व्यस्क शिक्षा कार्यक्रम – नवभारत साक्षरता कार्यक्रम" – ₹1350.00 लाख।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "पी. एम. स्कूल फॉर राईजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹8000.05 लाख (₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹13500.00 लाख;

(ग) "स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान" – ₹17970.10 लाख (₹0.10 लाख की पूरक अनुदान सहित)

(I) Provision of ₹651159.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilized under twenty three heads; of these ₹649893.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads :-

(A) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies" - ₹67050.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(B) "Elementary Education - Other Expenditure" -

(a) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - ₹67000.00 lakhs;

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - ₹230740.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.05 lakh);

(c) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)"- ₹27600.00 lakhs;

(C) "Adult Education - Other Adult Education Programmes - New India Literacy Programme" - ₹1350.00 lakhs;

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)"- ₹8000.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.05 lakh);

(b) "Elementary Education - Other Expenditure"- ₹13500.00 lakhs;

(c) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹17970.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(घ) "समग्र शिक्षा" – ₹36233.05 लाख (₹0.05 लाख की पूरक अनुदान सहित);

(d) "Samagra Shiksha" - ₹36233.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.05 lakh);

(ङा) "अनुसूचित जनजाति उप – क्षेत्र योजना" –

(E) "Tribal Area Sub-Plan"-

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – अन्य व्यय" – ₹35500.00 लाख;

(a) "Elementary Education - Other Expenditure" - ₹ 35500.00 lakhs;

(ख) "पी. एम. स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹4400.10 लाख (₹0.10 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(b) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)"- ₹4400.10 lakhs; (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(ग) "स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान" – ₹9360.10 लाख (₹0.10 लाख की पूरक अनुदान सहित);

(c) "Grants to Autonomous Bodies" - ₹9360.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh); and

(घ) "समग्र शिक्षा" – ₹131189.05 लाख (₹1.05 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(d) "Samagra Shiksha" - ₹131189.05 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.05 lakh).

उपर्युक्त तेरह शीर्षों ते अंर्तगत प्रावधान आंशिक निधियों/निधियों को उत्तर पूर्व और सिक्किम क्षेत्र के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष रासि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above thirteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" – बचतें निम्नलिखित के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:

(का) "प्रारंभिक शिक्षा" –

(A) "Elementary Education" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction and Administration" -

(i) "स्ट्रैथिंग टीचिंग – लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एस. टी. ए. आर. एस.)" – ₹751.66 लाख की बचत (₹2600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन के लिए कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने और आर्थिक उपायों के कारण हुई।

(i) "Strengthening Teaching-learning and Results for States (STARS)" - saving of ₹751.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards advertisement and economy measures.

(ii) "पी. एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई.)" – ₹7923.38 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹53860.00 लाख की कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान एवं निकोबार और लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों से पीएम श्री विद्यालयों के लिए कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. – पोषण)" –

(i) "बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" – ₹1677.24 लाख की बचत – (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) "राष्ट्रीय घटक" – ₹650.30 लाख की बचत (₹1303.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए "विशेष घटक योजना" –

(i) "पी. एम. स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹790.42 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "समग्र शिक्षा" – ₹834.05 लाख की बचत ₹0.08 लाख के पूरक अनुदान सहित (₹2068.08 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)"- saving of ₹7923.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹53860.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to less receipt of viable proposals for PM Shri Schools from the UTs of Andaman & Nicobar and Lakshdweep and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" -

(i) "Assistance to Union Territories without legislature" - saving of ₹1677.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs);

(ii) "National Component"- saving of ₹650.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1303.00 lakhs); and

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" saving of ₹790.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Samagra Shiksha"- saving of ₹834.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2068.08 lakhs) including token supplementary grant of ₹0.08 lakh) was due to less receipt of viable proposals from the States.

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – समग्र शिक्षा" – ₹1670.24 लाख की बचत (₹0.08 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5043.08 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में दमन व दीव और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "माध्यमिक शिक्षा" –

(क) "अनुसंधान और प्रशिक्षण – स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान" – ₹17352.66 लाख की बचत (₹51650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन. सी. ई. आर. टी. से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने, वेतन के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा निधियों के उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ख) "छात्रवृत्तियां – छात्रवृत्तियां" – ₹4866.08 लाख की बचत (₹27900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "व्यस्क शिक्षा – अन्य व्यस्क शैक्षिक कार्यक्रम – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" – ₹591.57 लाख की बचत (₹1553.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदानों के कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और मितव्यता संबंधी उपायों को किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी. एम.–पोषण)" – ₹98742.04 लाख की बचत (₹706389.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha"- saving of ₹1670.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5043.08 lakhs including token supplementary grant of ₹0.08 lakh) was due to less receipt of viable proposals from the UTs of Daman & Diu and Dadar and Nagar Haveli.

(B) "Secondary Education" -

(a) "Research and Training - Grants to Autonomous Bodies"- saving of ₹17352.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51650.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from NCERT, requirement of less funds towards salaries and non-utilisation of funds by the implementing agencies.

(b) "Scholarships - Scholarships"- saving of ₹4866.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27900.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(C) "Adult Education - Other Adult Education Programmes - New India Literacy Programme"- saving of ₹591.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1553.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for recurring grants, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(III) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/ Share" -

(a) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - saving of ₹98742.04 lakhs (against the sanctioned provision of

व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

₹706389.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹58433.20 लाख की बचत (₹2188274.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) आवर्ती अनुदानों के लिए राज्य सरकारों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई थी।

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹58433.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2188274.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals received from State Governments for recurring grants.

(ग) "स्ट्रैन्थिंग टीचिंग – लर्निंग एंड रिजल्टस फॉर स्टेट्स (एस. टी. ए. आर. एस)" – ₹1175.90 लाख की बचत (₹20500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित प्राक्कलन चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(c) "Strengthening Teaching - Learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹1175.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) "नवभारत साक्षरता कार्यक्रम" – ₹5793.97 लाख (₹7894.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(d) "New India Literacy Programme" - saving of ₹5793.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7894.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from State and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ङ) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹153293.65 लाख की बचत (₹186500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदानों के लिए राज्य सरकार से कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(e) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)"- saving of ₹153293.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹186500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from State Government for recurring grants.

(खा) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – स्ट्रैथिंग टीचिंग – लर्निंग एंड रिजल्टस फॉर स्टेट्स (एस .टी. ए. आर. एस)" – ₹2968.45 लाख की बचत (₹31400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Strengthening Teaching - learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹2968.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31400.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.–पोषण)"– ₹92507.30 लाख की बचत (₹216200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुवर्ती अनुदानों के लिए राज्यों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹52655.18 लाख की बचत (₹695430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "स्ट्रैन्थिंग टीचिंग – लर्निंग एंड रिजल्टस फॉर स्टेट्स (एस. टी .ए. आर. एस)" – ₹3719.14 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹44590.07 लाख की बचत (₹67000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "नवभारत साक्षरता कार्यक्रम" – ₹1727.27 लाख (₹2277.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदानों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "स्ट्रैन्थिंग टीचिंग – लर्निंग एंड रिजल्टस फॉर स्टेट्स (एस. टी. ए. आर. एस)" – ₹1437.04 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) "Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)" - saving of ₹92507.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹216200.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States for recurring grants.

(b) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹52655.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹695430.00 lakhs); and

(c) "Strengthening Teaching-learning And Results for States (STARS)" - saving of ₹3719.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹44590.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) New India Literacy Programme - saving of ₹1727.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2277.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from recurring grants.

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Strengthening Teaching-learning And Results for States (STARS)"- saving of ₹1437.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs); and

(ख) “पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)” – ₹17397.60 लाख की बचत (₹31400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन के चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) “नवभारत साक्षरता कार्यक्रम” – ₹903.78 लाख की बचत (₹1218.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदानों के लिए कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ङ) “आरक्षित निधियों/जमा लेखा को अंतरण – प्रारंभिक शिक्षा को अंतरण के लिए निधिया” – ₹160000.00 लाख की बचत (₹3000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन के चरण में प्रावधान की कमी के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा” –

(क) “प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी. एम. – पोषण)” – ₹5544.25 लाख की बचत (₹25030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा” – ₹31281.67 लाख की बचत (₹111489.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती और गैर – आवर्ती अनुदानों के लिए कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) “PM Schools for Rising India (PM SHRI)”- saving of ₹17397.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) “New India Literacy Programme” - saving of ₹903.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1218.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for recurring grants.

(E) “Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Funds for transfer to Prarambhik Shiksha Kosh” - saving of ₹160000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Major Head “3602”- “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/ Share”-

(a) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)” - saving of ₹5544.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25030.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(b) “Samagra Shiksha - Elementary Education” - saving of ₹31281.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹111489.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for recurring and non-recurring grants.

(ग) "पी एम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹9486.95 लाख की बचत (₹13600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(घ) "नवभारत साक्षरता कार्यक्रम" – ₹513.38 लाख की बचत (₹517.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली और पुद्दुचेरी संघ राज्यों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक शिक्षा" – ₹10342.22 लाख की बचत (₹19765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवर्ती अनुदानों के लिए कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "पी. एम. स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹3613.57 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप– योजना" –

(क) "समग्र शिक्षा – प्रारंभिक योजना" – ₹7631.06 लाख की बचत (₹1.00 लाख की सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹20401.00 लाख की तुलना में) आवर्ती अनुदानों के लिए कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पी. एम. एस. एच. आर. आई)" – ₹1454.11 लाख की बचत

(c) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹9486.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13600.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "New India Literacy Programme" - saving of ₹513.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹517.00 lakhs) was due non receipt of viable proposals from the UTs of Delhi and Puducherry and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹10342.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19765.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals for recurring grants.

(b) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹3613.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Samagra Shiksha - Elementary Education" - saving of ₹7631.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20401.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to less receipt of viable proposals for recurring grants.

(b) "PM Schools for Rising India (PM SHRI)" - saving of ₹1454.11 lakhs (against the

(₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन के चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹635.62 लाख की बचतें हुईं, प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थी और जो स्वीकृत प्रावधान की तुलना में क्रमशः 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹938362.50 लाख) पुनर्वियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹366889.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा – समग्र शिक्षा–समग्र शिक्षा" – ₹18695.24 लाख। हालांकि वास्तविक अधिक व्यय ₹18408.74 लाख हुआ।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" –

(i) "गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायता – स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान" – ₹65521.85 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹65502.25 लाख हुआ;

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक य़ोजना – स्वायत्त शासी निकायों के लिए अनुदान" – ₹29319.85 लाख;

(iii) "जनजातीय क्षेत्र उप – योजना – स्वायत्त शासी निकाय़ों को अनुदान" – ₹11489.90 लाख;

(iv) "आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एम. यू. एस. के.) को निधियों का अंतरण" – ₹733114.96 लाख।

sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under two heads savings of ₹635.62 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs each and constituting 14 percent and 15 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (₹938362.50 lakhs) unutilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹366889.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Samagra Shiksha - Samagra Shiksha" - ₹18695.24 lakhs. Actual excess, however, was ₹18408.74 lakhs.

(b) "Secondary Education" -

(i) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools - Grants to Autonomous Bodies" - ₹65521.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹65502.25 lakhs;

(ii) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Grants to Autonomous Bodies" - ₹29319.85 lakhs;

(iii) "Tribal Area Sub-Plan - Grants to Autonomous Bodies" - ₹11489.90 lakhs;

(iv) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK)" - ₹733114.96 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना – अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र उप – योजना – समग्र शिक्षा – प्रारंभिक योजना” – ₹80220.70 लाख।

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Samagra Shiksha - Elementary Education” - ₹80220.70 lakhs.

(II) बचतें भी उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2252” से निधियों को कार्यात्मक शीर्ष में पुनर्विनियोग किए जाने के कारण मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप – योजना – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी. एम. पोषण)” के अंतर्गत ₹1543.44 लाख के हुए अधिक व्यय (₹87000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-Poshan)” - excess of ₹1543.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹87000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. ***प्रारंभिक शिक्षा कोष***

3. ***Prarambhik Shiksha Kosh***

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच अंतर को भरने के लिए, वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2004 ने निगम कर, निगम कर के अलावा आय पर कर, लाभ कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क और सेवा कर पर @ 2 प्रतिशत शिक्षा उप–कर लगाया।

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalization of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत नवंबर, 2005 में भारत के लोक लेखा में गैर– व्यपगत निधि का सृजन किया गया था जिसे प्रारंभिक शिक्षा कोष कहा जाता है।

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में शिक्षा उप– कर के सभी आगम जमा किए जाएगें जिन्हें “समग्र शिक्षा अभियान और मिड–डे–मील स्कीम” पर व्यय किया जाता है। किसी वित्त वर्ष में इन योजनाओं पर किया गया व्यय आरंभ में समग्र बजटीय सहायता (जीबीएस) से खर्च किया जाएगा। योजना आबंटन का घटक और इन योजनाओं पर व्यय जीबीएस के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्त पोषित किया जाएगा।

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes “Samagra Shiksha Abhiyan” and “Mid-Day Meal Scheme” Expenditure incurred on these schemes, in the any financial year, shall initially be incurred from Gross Budgetary Support (GBS). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after GBS is exhausted.

₹28400.00 लाख का प्रावधान केंद्रीय बजट 2023–24 में किया गया था जिसे 02 प्रतिशत के शिक्षा उपकर

A provision of ₹28400.00 crores was made in the Union Budget 2023-24 for initial transfer to

से अनुमानित प्राप्तियों के सापेक्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष में आरंभ में अंतरित किया जाना था। बजट प्राक्कलन में 2023–24 में समान राशि का प्रावधान किया गया था जिसे समग्र शिक्षा अभियान और मीड–डे–मील (पी.एम. – पोषण) से संबंधित योजनाओं में खर्च हुए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्राप्त किया जाना था।

वर्ष 2023– 24 के लिए निधि का लेखा निम्नवत था:–

Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of 2% Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2023-24 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Samagra Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal (PM-Poshan).

The Account of the Fund for the year 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष	Opening Balance	2242,89,63
प्राप्तियां	Receipt	28400,00,00
भुगतान	Payments	28400,00,00
अंत शेष	Closing Balance	2242,89,63